न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-56RAAJodhpur2023-34RTA225 Khemaram ors Vs Himtaram etc

1. खेमाराम पुत्र चूनाराम
2. गोपूराम पुत्र हराराम
3. बनाराम पुत्र हराराम
4. भींयाराम पुत्र हराराम,
   सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- बेरड़ो का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हिमताराम पुत्र सुखाराम, जाति मेघवाल, निवासी- बेरड़ो का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 52/2022 हिमताराम बनाम खेमाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 08 सितंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 52/2022 हिमताराम बनाम खेमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

08.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 312/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर ग्राम बेरड़ो के बास में आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलांट्स की खातेदारी खेत खसरा नं. 312 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में सें मार्क ए से बी रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर नोटिसों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजूद है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट नियमानुसार तैयार नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट तैयारी के वक्त अपीलांट्स को सूचित ही नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय

04.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की बात कहने पर अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2022 को अप्रार्थी/अपीलांट्स की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए.डी से सम्मन भिजवाने के आदेश दिये गये, इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध सम्मनों की द्वितीय प्रति के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स को उक्त सम्मन आदेश पारित होने से पहले ही भेजे गये। सम्मनों में नियत तारीख पेशी में कांट-छांट किया जाना पाया जाता है तथा नियत आगामी तारीख पेशी में स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पोस्टल रसीदात के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया न्यायिक प्रक्रिया का पालना नहीं किया जाना पाया जाता है।

07.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इस कारण अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी होने का कारण लाजमी है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्रो के माध्यम से उक्त अवधि के विलंब को क्षमा किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेत अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक मौका फर्द दिनांक 28.06.2023 में रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 312/4 में आवागमन हेतु खसरा नं. 307 एवं 312/9 में सें नजरी नक्शें में दर्शितानुसार बिंदु ओ से पी तक वैकल्पिक रास्ते के चिन्ह मौके पर विद्यमान होना बताया गया है। जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलाधीन रास्ता ही रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों बाबत विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब किये बिना तथा उन विकल्पो पर गौर किये बिना अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पो की जांच कर विस्तृत मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान् की मौके पर उपस्थिति मे तलब कर मौका

08.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08-9-23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर